Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

Original Article

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका

मंजुला द्विवेदी
शोधार्थी–राजनीति विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश
Email-dimpy12021995@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170916
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9(A)
Pp.79-82
September 2025
Submitted:23 Aug. 2025
Revised: 4 Sept. 2025
Accepted: 21 Sept. 2025
Published: 30 Sept. 2025

सारांश

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है। देश की आधी आबादी का संसद और राज्य विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व ग्यारह प्रतिशत से भी कम हो तो यह चिन्ता की बात है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल उनका हक है बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के लिए भी आवश्यक है। प्राचीनकाल से ही भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के साक्ष्य मिलते है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में ही महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने वाले देशों में भारत प्रमुख था परन्तु आजादी के 75 वर्ष बाद भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नही मिल पाया है। वर्तमान में महिलाओं में राजनीतिक प्रभाव पड़ने व महिला आरक्षण की बात का संसद में होना तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के चुनाव व पंचायती राज, ग्राम प्रधान व ग्राम सभा आदि में महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से महिलाओं के विचारों में जागरुकता आयी है और वे अपना अधिकार पाने व समाज से लड़ने के लिए राजनीति में भाग लेकर चुनाव मैदान में उतर कर अपनी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रही है।

महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। उच्च सामाजिक वर्ग (जाति) व आर्थिक वर्गों की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पायी गयी जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक तबके की महिलाओं में यह भागीदारी अत्यधिक कम थी।

पिछले कुछ वर्षों में चुनावों में मतदान के रुप में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। अनेक राज्यों में हुए विभिन्न चुनावों में महिलाएँ पुरुषों के समान मतदान कर रही हैं, जबकि अनेक स्थानों पर वे पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान कर रही हैं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में पुरुषों का वर्चस्व मुख्य बाधकों में से एक है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की दो–तिहाई महिलाओं का मानना है कि पुरुषों के राजनीतिक वर्चस्व के कारण महिलाओं को राजनीति में अवसर नहीं मिलता जबकि 20–25 वर्ष की आधी महिलाओं की राय इसके विपरीत है। इसके आलावा अधिकांश महिलाओं का मानना है कि भारतीय मतदाता महिलाओं की तुलना मे पुरुष उम्मीदवारों के पक्ष में अधिक मत देते है।

शब्द कुंजी– *भारतीय, महिलाओं, राजनीतिक, लोकसभा, भूमिका, जागरुकता, भागीदारी, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता।*

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं की भूमिका की महत्त्वा से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है।संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत नीचे से 20वें स्थान पर है। भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ–साथ विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्रियों के पद भी संभाले है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
मंजुला द्विवेदी, शोधार्थी-राजनीति विज्ञानए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश

How to cite this article:
द्विवेदी, . मंजुला . (2025). भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका. Journal of Research and Development, 17(9(A)), 79–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.17510484

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17510484
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

भारतीय मतदाताओं ने कई दशकों से महिलाओं को कई राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए चुना है।लोकतंत्र सभी व्यक्तियों पर समान आधार पर लागू होता है। भारत में सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि और श्रेणियों के बावजूद कुछ अधिकार दिये जाते है जो राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाते है। महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से बाहर रखा गया है और उनके साथ हर समाज में भेदभाव किया जाता रहा। अमीर उच्च जाति के परिवारों की तुलना में समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों में महिलाओं के साथ भेदभाव व्यवहार अधिक है। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से भी बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सच्ची लोकतांत्रिक भावना की प्राप्ति के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के साथ समाज व्यवहार का प्रावधान करना सार्थक और प्रभावी माना जाता है और इसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका– भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बतौर शासक होने के प्रमाण हमें क्षेत्रिय सत्ताओं से ही मिलते हैं लेकिन केंद्रिय सत्ता में पहली दमदार उपस्थिति हमें गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान है जिसे उसके पिता इल्तुतमिशन ने योग्य पुरुष उत्त्राधिकारी नहीं मिलने के कारण राजगद्दी सौंप दी थी। रजिया के बाद सदियों तक भारत का केंद्रिय शासन महिला को नहीं मिला और न ही उसे कोई उच्च पद प्रदान किया गया। कुछ महिलाएँ जैसे कि अकबर की धाय माँ माहम अनगा, जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ और शाहजहाँ की दो बेटियाँ जहाँ आरा और रोशन आरा आदि का राजनीतिक दबदबा अवश्य रहा लेकिन उनके पास कोई शासकीय पद नहीं था और वे पुत्र, पत्नी और पुत्री की परिस्थितियों के कारण राजनीति में सक्रिय रही। ब्रिटिश काल में सन् 1917 में महिलाओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए भारत विषयक सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था इनकें अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में सक्रिय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय महिलाएँ सरोजिनी नायडु (1925) और नेल्ली सेन गुप्ता (1933) ने की। राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी समान अधिकारों की बढ़ती मांग से जुड़ी हुई है। 1990 के दशक कांग्रेस सत्ता में रही। जैसे ही कांग्रेस कल्याणकारी राजनीति से दूर हुई अन्य पार्टियाँ गरीबी को अपने एजेंडे के केन्द्र में इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को चुनौती देने के लिए उठी। महिलाओं की भागीदारी की मदद से कांग्रेस ने 2004 में दोबारा सत्ता हासिल की। कांग्रेस पार्टी के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा स्थापित करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। जून 2009 में कांग्रेस ने एक महिला को लोकसभा का पहला स्पीकर नामित किया और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति **प्रतिभा पाटिल** का समर्थन किया। भाजपा की शुरुआती स्थापना में महिलाएँ शामिल थीं। भाजपा ने महिला नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करके महिला उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता देकर और पार्टी नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करके महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया है। भाजपा ने धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके महिलाओं का समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय महिलाओं के हिंसा के खिलाफ भी आवाज उठाई है। सीपीआई ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन के माध्यम से हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने सहित लैंगिक असमानता के मुद्दों का भी समर्थन किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संबंध में भारत अद्वितीय था। वैदिक काल में सभा और समितियों में महिलाओं की भागीदारी के उल्लेख मिलते हैं मौर्यकालीन भारत में प्रशासकीय पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी। सातवाहन काल में महिलाओं के महत्व के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मध्यकाल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी आई पर रजिया सुल्तान, रानीदिद्या जैसी शासिकाएँ इस काल में भी थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान लंबे समय तक महिलाएँ मताधिकार से वंचित रहीं और स्वतंत्रता के समय भारत की यही पृष्ठिभूमि थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीका जी कामा, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि की भूमिका ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में प्रेरक भूमिका निभाई। संविधान निर्मात्री सभा में 15 महिला सदस्यों को शामिल किया गया था। राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए जागरुकता पैदा करना और विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सूचनात्मक होना महत्वपूर्ण है अच्छा निर्णय लेना उन क्षेत्रों का विश्लेषण करना, समुदायों और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए काम करना शामिल है।

भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सबसे क्रांतिकारी कदम 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा उठाया गया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि देश में ग्राम पंचायत चुनावों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह नीति स्थानीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी। विभिन्न शोध यह दर्शाते हैं कि ग्राम सरपंच के रुप में चुनी गई महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और यह अनिवार्यता 1990 के दशक के मध्य से राज्य और राष्ट्रीय विधायिका सीटों पर चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों में वृद्धि के एक बड़े हिस्से का कारण रही हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की सदस्यता लगभग 11 प्रतिशत है और महिला आरक्षण विधेयक 2010से ही लंबित है।भारत के संसदीय आम चुनावों के दौरान महिलाओं के लिए मतदान प्रतिशत 65.63 प्रतिशत था, जो पुरुषों के लिए 67.09 प्रतिशत मतदान से थोड़ा कम था। प्रगति के बावजूद संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 185 देशों में से 143वें स्थान पर है। हालांकि भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रुप में कार्य करते हुए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की है। दशकों से वे राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए चुनी जाती रही है। भारत में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में निचले स्तर पर मतदान में भाग लेती हैं, सार्वजनिक कार्यालयों और राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ती है। राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र है। राजनीति में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

राजनीतिक दल महिला आरक्षण के हिमायती तो है और वे महिलाओं को राजनीतिक रुप से जागरुक और क्रियाशील बनाने की जरुरत पर बल देते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। राजनीतिक दल महिलाओं को राजनीति में भागीदार और सत्ता के हिस्सेदार की वकालत तो करते हैं लेकिन व्यवहार में उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल उलट है, यही कारण है कि महिला उम्मीदवार को न तो अधिक टिकट ही दिये जाते हैं और न ही उन्हें संगठन में कोई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है क्योंकि महिलाएँ राजनीतिक रुप से धीरे–धीरे जागरुक हो रही हैं। वे राजनीति में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं, इसलिए तो मेघा पाटकर, अरुंधती राय, वंदना शिवा और अरुणा राय जैसी महिला राजनीतिज्ञों की जमात उभरकर सामने लाना चाहती हैं। राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी और सत्ता में उनकी समान हिस्सेदारी के बिना हमारी आधुनिकता, विकास और सभ्यता सब कुछ बेमानी है, इसलिए राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रयास करने होंगे। सभी को अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक चेतना– महिलाओं के दृष्टिकोण से 1996 का लोकसभा चुनाव काफी महत्त्वपूर्ण रहा जब सदन में उनकी संख्या सर्वाधिक 10 तक पहुँची जिसमें 5 महिलाएँ भाजपा से थीं। कांग्रेस से 2 सपा से 2 जद से मेनका गांधी थीं। सपा से फूलन देवी जो बैंडिट क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थीं। कांग्रेस से बेगम नूरबानों, राजकुमारी रत्ना सिंह प्रमुख थीं। प्रदेश की विधानसभा में उनकी संख्या 21 थी। 1998 के लिए हुए लोकसभा चुनाव में संसद में प्रदेश की 8 महिलाएँ पहुँची जिसमें 3 सपा से 1 बसपा से 3 भाजपा से तथा एक भाजपा समर्थित निर्दलीय मेनका गांधी। कुल मिलाकर सदन में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही इन्दिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, शीला कौल, मेनका गांधी, ऊषा वर्मा, शीला गौतम, सुभद्रा जोशी, सुशीला रोहतगी, गंगा देवी कुछ गिने चुने नाम ही हैं। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी डालनी होगी ताकि स्वतः इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन सभी सरकारों तथा राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सके।

आज कल महिलाओं में राजनीतिक प्रभाव पड़ने व महिला आरक्षण की बात का संसद में होना तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के चुनाव व पंचायती राज, ग्राम प्रधान व ग्राम सभा आदि में महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से महिलाओं के विचारों में जागरुकता आयी है और वे अपना अधिकार पाने व समाज से लड़ने के लिए राजनीति में भाग लेकर चुनाव मैदान में उतर कर अपनी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर रही हैं। महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने व उनकी प्रगति के लिए जो अध्यापिकायें चुनाव लड़ना चाहती हैं उनकी संख्या सबसे अधिक 72(51.4 प्रतिशत) है। अन्य किसी कारणों से जो अध्यापिकायें चुनाव मैदान में उतरी हैं उनकी संख्या 24(17.1 प्रतिशत) है। महिलाओं के उत्थान हेतु सम्मान प्राप्ति हेतु अधिक धन कमाने, राजनीतिक लाभ हेतु व अन्य कारणों हेतु के संबंध में ही ज्यादा अध्यापिकाओं ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये।

सक्रिय राजनीति में महिलाओं की कम संख्या के लिए केवल राजनीतिक दल ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारा समाज भी है, जो राजनीति में महिलाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। साधारण परिवारों की महिला उम्मीदवारों के जीतने की बहुत कम संभावना होती है चुनावों में धन और बाहुबल के बढ़ते प्रयोग के कारण महिलाओं के लिए यह क्षेत्र और कठिन हो गया है। इसके अलावा घरेलू काम में समय नहीं दे पाना, राजनीतिक शिक्षा का अभाव जैसी अन्य कई समस्याएँ हैं जो उनके सक्रिय राजनीति में भागीदारी में अड़चन बनती हैं। महिलाओं की राजनीतिक शिक्षा पर बल दिए जाने की आवश्यकता पंचायतों में चुनी गई महिलाओं को अपना कार्य समझने तथा क्रियान्वित करने के लिए उनके कौशल प्रशिक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। और सबसे महत्त्वपूर्ण समाज में परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए शिक्षा, प्रचार तथा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

1917 का वर्ष भारतीय महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक भूमिका में पहला महत्त्वपूर्ण वर्ष था, जिसमें महिलाओं ने एक साथ अनेक दिशाओं में कदम रखें। महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार की मांग उठाई गई। 18 दिसम्बर 1917 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का शिष्टमंडल श्री मांटेग्यू, सेक्रेटरी आफ स्टेट फॉर इंडिया और वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड से मिला। यह घटना महिलाओं में जागृति की नहीं दृढ़ता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर सक्रिय भाग लेने की भी प्रतीक थी।

जब महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में शामिल होती हैं, तो सकारात्मक पहलू यह है कि वे न केवल अपने जीवन में सुधार लाने में सक्षम हैं, बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने में भी सक्षम हैं। 16वीं और 17वीं लोकसभा में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में 16वीं लोकसभा में कुल 9 महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया गया था। 16वीं लोकसभा में 67 तथा 17वीं लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गई जो अब तक उच्चतम संख्या है।

पीआर एस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार– "यह देश के इतिहास में लोकसभा में पहुँचने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक पक्ष मतदान में भागीदारी है। भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमे समय–समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति में अनेक तरह के उतार–चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है इन बदलावों का परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों दिन बढ़ रहा है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है।

आज भारत में महिलाएँ सभी क्षेत्रों में आ रही हैं वे अपने मेहनत व लगन के बल पर सभी क्षेत्रों में सफलता के झण्डे गाड़ रही हैं, तो फिर राजनीति के क्षेत्र में पीछे क्यों हो रही हैं? इतिहास और वर्तमान गवाह है कि भारतीय महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ा है और कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी अधिक प्रभावी भूमिका है, लेकिन वे राजनीति के

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे भी छूट गई है। महिलाओं को समान वैधानिक व राजनीतिक अधिकार दिये जाने चाहिए तभी भारत की आजादी सार्थक हो पायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. डॉ. नीति पाण्डेय, डॉ. भारत भूषण, (आजादी के 75 वर्ष उपरांत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति)
2. महिला और विकास 2024,
3. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिकाः लोकतंत्र के बदलते स्वरुप का अध्ययन,
4. कु. किरन शाक्य (भारतीय महिलाओं में राजनीतिक चेतना 1952 से 1998 तक),
5. मोहम्मद जावेद खान (राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका),
6. https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in
7. https://en.wikipedia.org.
8. drishtiias.com/hindi